न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/09

बाबूलाल बैरवा आत्मज लालू बैरवा बालिग निवासी ग्राम हट्टीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. ग्राम पंचायत हट्टीपुरा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. ग्राम पंचायत हट्टीपुरा द्वारा सचिव ग्राम पंचायत हट्टीपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री कपूर चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 15.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिलाधीश, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डार के निर्माणों के लिए भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) नियम, 1965 के तहत ग्राम हट्टीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 162/342 रकबा 04 बीघा भूमि गै0मु0 सिवायचक में से अधिकतम 1500 वर्गमीटर को अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए अपने आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2016 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने पर हुई जिस पर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

लान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया र निवेदन किया कि आवंटित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । उक्त भूमि नगरपरिषद दी के नगरीय सीमा में है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व नगर परिषद बून्दी ने आवंटन करने से पूर्व अनुमति नहीं ली गई है । उक्त आवंटित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डार के निर्माणों के लिए भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) नियम, 1965 के तहत ग्राम हट्टीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 162/342 रकबा 04 बीघा भूमि गै0मु0 सिवायचक में से अधिकतम 1500 वर्गमीटर को अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए अपने आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जिसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित करने का आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डार के निर्माणों के लिए भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) नियम, 1965 के तहत ग्राम हट्टीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 162/342 रकबा 04 बीघा भूमि गै0मु0 सिवायचक में से अधिकतम 1500 वर्गमीटर को अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए अपने आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिससे अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर यदि मान लिया जावे कि अपीलान्ट का कब्जा है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे उसे किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा